इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 592] भोपाल, मंगलवार दिनांक 23 नवम्बर 2010—अग्रहायण 2, शक 1932

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2010

क्र. 24630-वि.स.-विधान-2010.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम-64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 25 सन् 2010) जो विधान सभा में दिनांक 23 नवम्बर, 2010 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २५ सन् २०१०

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, २०१०

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) अधिनियम, २०१० है.

धारा २३-क का संशोधन. २. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) की धारा २३-क की उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(२) राज्य सरकार, उपांतरित योजना के प्रारूप को, उपांतरित योजना प्रारूप के तैयार किये जाने की तथा उस स्थान या उन स्थानों की, जहां उसकी प्रतियों का निरीक्षण किया जा सकेगा, सूचना एक ऐसे दैनिक हिन्दी और एक अंग्रेजी समाचार पत्र में प्रकाशित कराएगी जो कि विज्ञापन के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार की अनुमोदित सूची में हों, और हिन्दी समाचार पत्र का परिचालन उस क्षेत्र में होना चाहिए जिससे कि वह संबंधित है, और उसकी एक प्रति, कलक्टर कार्यालय के किसी सहजदृश्य स्थान पर चिपकाई जाएगी, जिसमें किसी भी व्यक्ति से ऐसी सूचना के प्रकाशन की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर उसके संबंध में लिखित आपत्तियां तथा सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे और उन समस्त आपत्तियों तथा सुझावों पर, जो कि सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त हों, विचार करने के पश्चात् और उससे प्रभावित समस्त व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, राज्य सरकार उपांतरित योजना की पुष्टि करेगी.".

उद्देश्यों और कारणों का कथन

विकास योजना / परिक्षेत्रिक योजना का उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) की धारा २३ के उपबंधों के अधीन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है.

2. विकास योजना / परिक्षेत्रिक योजना में प्रस्थापित उपांतरण के लिए सूचना, उस क्षेत्र में जिससे कि वह योजना संबंधित है, परिचालित ऐसे दो दैनिक समाचार पत्रों में, जो कि विज्ञापन के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार की अनुमोदित सूची में हों, लगातार दो दिन तक प्रकाशित कराया जाना अनिवार्य है. ऐसी सूचना सरकार द्वारा आयुक्त, जनसंपर्क को प्रकाशन के लिये भेजी जाती है जो कि ऐसे कार्य के लिए नोडल एजेंसी है. पूर्व में यह अनुभव किया गया है कि उपांतरण के लिए सूचना लगातार दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं की जाती थीं या दो समाचार पत्रों में प्रकाशित तो की गई किन्तु लगातार नहीं की गई, इस प्रकार विधि की आवश्यकता पूरी नहीं होती थी. इसलिये विधिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए उसी सूचना को दुबारा प्रकाशित किया जाता है जिससे विलम्ब तो होता ही है साथ ही राजकोष को भी क्षति होती है.

3. अतएव, धारा २३-क की उपधारा (२) को प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है जिसमें वाक्यांश "उस क्षेत्र में, जिससे कि वह संबंधित है, परिचालित ऐसे दो दैनिक समाचार पत्रों में, जो कि विज्ञापन के प्रयोजन के लिए सरकार की अनुमोदित सूची में हों, लगातार दो दिन तक", के स्थान पर वाक्यांश "ऐसे एक हिन्दी और अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र में, जो कि विज्ञापन के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार की अनुमोदित सूची में हों और हिन्दी समाचार पत्र का परिचालन उस क्षेत्र में होना चाहिए जिससे कि वह संबंधित हो", रखा जा रहा है. इस संशोधन से विकास योजना / परिक्षेत्रिक योजना के उपांतरण के प्रकाशन में अनुभव की जाने वाली कठिनाई दूर हो सकेगी.

४. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
दिनांक १० नवम्बर, २०१०.

जयंत मलैया
भारसाधक सदस्य.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 604] भोपाल, बुधवार, दिनांक 24 नवम्बर 2010—अग्रहायण 3, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2010

क्र. 7028-378-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 25, सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH BILL
No. 25 OF 2010.

THE MADHYA PRADESH NAGAR TATHA GRAM NIVESH (SANSHODHAN) VIDHEYAK, 2010.

A Bill further to amend the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-first year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the **Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh (Sanshodhan)** Adhiniyam, 2010.

Amendment of Section 23-A.

2. For sub-section (2) of Section 23-A of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(2) The State Government shall publish the draft of modified plan together with a notice of the preparation of the draft modified plan and the place or places where the copies may be inspected, in a Hindi and an English daily newspaper, which are in the approved list of the Government for advertisement purposes and the Hindi newspaper should have circulation in the area to which it relates, and a copy thereof shall be affixed in a conspicuous place in the office of the Collector, inviting objections and suggestions in writing from any person with respect thereto within fifteen days from the date of publication of such notice, and after considering all the objections and suggestions as may be received within the period specified in the notice and shall after giving reasonable opportunity to all persons affected thereby of being heard, the State Government shall confirm the modified plan.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The modification of development plan/zonal plan is done by the State Government under the provisions of Section 23A of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973).

2. It is mandatory requirement to publish the notice for proposed modification in development plan/zonal plan for two days continuously in such two daily news papers which are in the approved list of the Government for advertisement purpose having circulation in the area to which it relates. Such notice is sent for publication by the Government to Commissioner, Public Relation who is the nodal agency for such work. It is experienced in the past that for modification, notice is not published continuously in two daily news papers or it is published in two newspapers but not continuously or it is published only in one newspaper, hence requirement of law is unfulfilled. Therefore, the same notice is again published to meet out the legal requirement as per the provisions of the Act which causes delay as well as loss to State exchequer.

3. Therefore, sub-section (2) of Section 23A has been proposed to be substituted, wherein the phrase "continuously for two days in such two daily news papers which are in the approved list of Government for advertisement purpose having circulation in the area to which it relats" is replaced by "in a Hindi and an English daily newspaper which are in the approved list of the Government for advertisement purposes and the Hindi newspaper should have circulation in the area to which it relates". This amendment shall obviate the difficulty observed in the publication of modification of development plan/zonal plan.

4. Hence this Bill.

BHOPAL :
DATED the 10th November, 2010.

JAYANT MALAIYA
Member-in-Charge.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.